**39**

# सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

**(2022-23)**

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

## (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।**

**उनतालीसवां प्रतिवेदन**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944* (शक)**

**उनतालीसवां प्रतिवेदन**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति**

**(2022-23)**

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

# सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

# (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

**12.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**

**12.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944* (शक)**

**विषय-सूची**


| | | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| समिति की संरचना | | |
| प्राक्कथन | | |
| अध्याय एक | प्रतिवेदन ..... | |
| अध्याय दो | टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ..... | |
| अध्याय तीन | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती ..... | |
| अध्याय चार | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है ..... | |
| अध्याय पांच | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं ..... | |
| | अनुबंध* | |
| एक | समिति की 9.12.2022को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। | |
| | परिशिष्ट | |
| दो | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण | |


*बाद में संलग्न किया जाएगा।

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
## (2022-23) की संरचना

**श्रीमती रमा देवी - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के.षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

**राज्य सभा**

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा

24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

## लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी .पांडा -अपर सचिव
2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल - संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल -निदेशक
4. श्री कृषेन्द्र कुमार -उप सचिव
5. श्रीमती बिनानी सरकार जोशी - अवर सचिव

## प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

.2बत्तीसवां प्रतिवदेन 24.3.2022को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ..23.82022 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अपने उत्तर प्रस्तुत किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 9.12.2022को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3 .सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति )सत्रहवीं लोक सभा (के बत्तीवसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट पर दिया गया है।

.4 संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

**नई दिल्ली;** **रमा देवी,**
**09 दिसंबर, 2022** **सभापति,**
**18अग्रहायण, 1944) शक(** **सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति**

## अध्याय- एक

## प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के संबंध में समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. बत्तीसवां प्रतिवेदन 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 15 टिप्पणियां/सिफारिशें थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के की गई कार्रवाई के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:-

1. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है **(कुल: 06, अध्याय: दो)**

   **सि. पैरा सं. 2.9, 2.11, 3.19, 4.15, 6.9 और 7.17**

2. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती **(कुल: 05, अध्याय: तीन)**

   **सि. पैरा सं. 2.10, 3.17, 3.20, 4.14 और 7.16**

3. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है **(कुल: 02, अध्याय: चार)**

   **सि. पैरा सं. 3.18 और 5.8**

4. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं **(कुल: 02, अध्याय: पांच)**

   **सि. पैरा सं. 4.13 और 7.18**

**3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण और अध्याय- पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई उत्तर उन्हें यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।**

4. अब समिति सरकार से प्राप्त उन उत्तरों पर विचार करेगी जिन्हें दोहराए जाना अपेक्षित है या जिन पर टिप्पणियां किया जाना आवश्यक है।

**सिफारिश (पैरा सं. 3.18)**

5. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति पाती है कि जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) योजना 1999-2000 में अस्तित्व में आई थी और 2020-21 से दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत वित्त पोषित की जा रही है, यह अभी भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि 269 जिलों में स्थापित डीडीआरसी में से केवल 55-60 डीडीआरसी को ही कार्यात्मक बनाया गया है। समिति यह समझती है कि इस मामले पर दिव्यांगता संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की उपस्थिति में भी चर्चा की जाती है, फिर भी कार्य के आगे बढ़ने की गति हतोत्साहित करने वाली है। स्पष्ट रूप से, वर्तमान लागत मानदंड योग्य पुनर्वास पेशेवरों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में पेशेवरों की विशेष कमी है। समिति का मानना है कि विभाग ने इस मुद्दे के समाधान हेतु ठोस कार्रवाई करने में देरी की है, हालांकि अब दिशा-निर्देशों में संशोधन करके और मॉडल डीडीआरसी तैयार करके विभाग द्वारा की गई पहलों से उम्मीद है कि डीडीआरसी की स्थापना में अनुभव की गई कमियों को दूर किया जा सकेगा। समिति को आशा है कि डीडीआरसी को सभी 269 जिलों में कार्यात्मक बनाया जाएगा। समिति वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों से अवगत होना चाहेगी।"

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"डीडीआरसी के तहत वर्तमान स्थिति और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:-

- ❖ आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद 2018 में दिव्यांगताओं की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- ❖ 2022-23 से लागू किए जाने वाले संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीडीआरसी को अधिमानतः जिला अस्पताल/जिला प्रारंभिक उपचार केंद्रों को निकटतम स्थान पर स्थित होना चाहिए।
- ❖ गुणवत्ता पेशेवरों को अब परामर्श के आधार पर (अंशकालिक) अथवा पूर्णकालिक नियुक्त किया जा सकता है। इससे अनुदान की सीमाओं के तहत आवश्यकतानुसार पेशेवरों की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय प्रभावी रूप से डीडीआरसी को स्थापित करने और उसके संचालन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने के लिए मॉडल डीडीआरसी विशेषताओं को तैयार करने की प्रक्रिया में है।
- ❖ माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्यों के जिलों में डीडीआरसी की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।"

**7. समिति देश के सभी 269 नामित जिलों में डीडीआरसी की स्थापना में विभाग द्वारा गति में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर देती रही है, क्योंकि अब तक केवल 55-60 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) कार्यरत हैं। समिति ने आशा व्यक्त की थी कि डीडीआरएस के दिशा-निर्देशों में संशोधन से योजना की अंतर्निहित कमियों को दूर किया जा सकेगा और डीडीआरसी की स्थापना का रास्ता साफ़ हो जाएगा। तथापि, दिशा-निर्देशों में संशोधन के पश्चात् भी समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता का समाधान होने की संभावना नहीं है क्योंकि विभाग ने अपने नवीनतम उत्तरों में अभी तक डीडीआरसी की वर्तमान स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। समिति यह समझने में असमर्थ है कि जब तक दिशानिर्देशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तब तक विभाग**

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर कैसे कार्रवाई करेगा। विभाग ने बताया कि वे मॉडल डीडीआरसी की विशेषताएं तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, जो डीडीआरसी की स्थापना और संचालन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फिर से प्रभावी ढंग से चलाने में सहायता करेंगे, मॉडल डीडीआरसी सुविधाओं को तैयार करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। इससे, समिति दृढ़तापूर्वक महसूस करती है कि विभाग वर्तमान कार्य को पूरा करने में कुछ हद तक लापरवाह है। समिति को संशोधित दिशा-निर्देशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर भी अत्यंत संदेह है। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग कार्य निष्पादन हेतु समय-सीमा के साथ एक उचित रोडमैप तैयार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के प्रत्येक जिले में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीडीआरसी स्थापित किए जाएं।**

**सिफारिश (पैरा सं. 4.13)**

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"जहां तक दिव्यांगजनों के शैक्षिक सशक्तिकरण की योजनाओं का संबंध है, समिति यह बात नोट कर क्षुब्ध है कि दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की छह योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आवंटन न केवल स्थिर रहा है बल्कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अपर्याप्त आवेदनों के कारण इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया गया है। जैसा कि मंत्रालय ने बताया था, उनके द्वारा निधियां जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि सत्यापित आवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में/अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्राप्त हुए थे। चूंकि आवेदनों की देर से प्राप्ति के कारण पिछले वर्ष में धन जारी नहीं किया जा सका था, इसलिए सुविधाजनक रूप से यह माना गया कि अगले वर्ष भी यही परिदृश्य जारी रहेगा और इसी तरह के बजटीय आवंटन के साथ-साथ लक्ष्यों को आगामी वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2019-20 से आज तक, 200 राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, 1700 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, 300 शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, 2000

नि:शुल्क कोचिंग, 20 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां और 25000 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां प्रत्येक वर्ष बिना किसी परिवर्तन के निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं। यह अन्य बात है कि राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को छोड़कर कोई अन्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। समिति का मानना है कि विभाग को ईमानदारी से काम करने और इस तरह की स्थितियों को दूर करने के लिए साधनों का पता लगाने की आवश्यकता है। समिति यह भी महसूस करती है कि विभाग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच समन्वय की कमी है जिसके परिणामस्वरूप समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। समिति चाहती है कि विभाग उचित उपाय करे ताकि दिव्यांग छात्र विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित न रहें। जैसा कि समिति को बताया गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए विभाग को इन श्रेणियों और उत्तर पूर्व राज्यों से संबंधित दिव्यांग छात्रों के बीच इन छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके।"

9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित वीडियो कांफ्रेंसिंग सहित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स/सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा किये गए अनवरत प्रयासों के कारण निशुल्क कोचिंग को छोड़कर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को 2021-22 में बड़े पैमाने पर हासिल किया गया है। 2021-22 में एनएसपी पर शामिल योजनाओं के तहत अंतिम रूप से सत्यापित आवेदनों और जारी छात्रवृत्ति का विवरण नीचे तालिका-I में दिया गया है:

तालिका-I

| क्र.सं. | योजना का नाम | स्लॉट | आवेदन अंतिम रूप से सत्यापित | एनएसपी द्वारा भुगतान के लिए सत्यापित आवेदन | दिनांक की स्थिति के अनुसार अंतिम रूप से प्रदत्त आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्री-मैट्रिक | 25000 | 21052 | 19327 | 16000 |
| 2 | पोस्ट- मैट्रिक | 17000 | 25305 | 16658 | 16493 |
| 3 | टॉप क्लास | 300 | 435 | 294 | 292 |

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने योजना का मूल्यांकन करते हुए, छात्रवृत्ति योजना के तहत समग्र परिव्यय को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 560.00 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया। तद्नुसार, 2021-22 के लिए परिव्यय को 125.00 करोड़ रुपये से संशोधित कर 110.00 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह, 2022-23 के लिए बजट आवंटन 105.00 करोड़ रुपये के लिए आवंटित किया गया है।

विभाग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-II से स्पष्ट है कि इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत निधियों का पूर्ण उपयोग/ लाभार्थियों को जारी किया गया था। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, विभाग जागरूकता उपायों में वृद्धि करेगा और विज्ञापन के सभी संभावित माध्यमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनाओं का अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगा:-

<u>तालिका-II</u>

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | शीर्ष | आवंटित निधियां | | जारी निधियां |
|---|---|---|---|---|
| | | बीई | आरई | |
| 1 | अनुसूचित जाति | 10.87 | 14.75 | 14.87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 3.27 | 3.27 | 3.27 |

चूंकि, ईएफसी ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए परिव्यय सीमा निर्धारित की है, इसलिए विभाग के लिए आवंटन की तुलना में लक्ष्यों को बढ़ाना संभव नहीं होगा। तथापि, समिति की टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और विभाग को योजना के अंतर्गत आवंटित बजट में से स्लॉट का पूर्ण उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे।

जहां तक समन्वय का संबंध है, विभाग के अधिकारी टेलीफोन, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के नियमित संपर्क में रहते हैं और कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दों को शीघ्र निवारण के लिए इन मंचों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के संज्ञान में तुरंत लाया जाता है।"

**10. समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई-कार्रवाई-उत्तर से नोट किया है कि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति हेतु 25,000 के आवंटित स्लॉट की तुलना में 2021-22 में केवल 16,000 आवेदकों को अंतिम रूप से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था। हालांकि मैट्रिकोत्तर और टॉप क्लास के मामले में स्थिति बेहतर है, परंतु इन योजनाओं में भी, अंतिम रूप से भुगतान किए गए आवेदकों की संख्या आवंटित स्लॉट की तुलना में कम थी। इसलिए, समिति विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों से आश्वस्त नहीं है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे और यह महसूस करती है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवेदनों के समयबद्ध निपटान, व्यापक प्रचार आदि जैसे अधिक ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता है। समिति को ईएफसी के निर्देशों के बारे में भी सूचित किया गया है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए परिव्यय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके कारण विभाग के लिए आवंटन की तुलना में लक्ष्यों को बढ़ाना संभव नहीं होगा। समिति का मानना है कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ, कुल परिव्यय निर्धारित करना समाज के वंचित वर्गों के हित में नहीं होगा क्योंकि यह उन व्यक्तियों की संख्या को सीमित करेगा जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग इसे**

**संबंधित विभाग के ध्यान में लाए ताकि ऐसी योजनाओं के संबंध में ऐसे प्रतिबंधों में ढील दी जा सके।**

**सिफारिश (पैरा सं. 5.8)**

11. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 2014-15 की बजट घोषणा के परिणामस्वरूप देश के पांच जोनों में दिव्यांगों संबंधी खेल के लिए खोले जाने वाले पांच केंद्रों में से केवल दो केन्द्र अर्थात ग्वालियर और शिलांग को अंतत: स्थापित किया जा सकेगा क्योंकि दिव्यांगों संबंधी खेल के लिए ग्वालियर स्थित खेल केंद्र 2 जून, 2022 तक पूरा हो जाएगा, और शिलांग स्थित केंद्र के लिए वित्तीय आवंटन किया जा चुका है। समिति बजट भाषण 2014-15 में घोषित विजन को सफल बनाने में विभाग की असफलता के कारणों को नहीं समझ पाई है क्योंकि छह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जहां दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दिव्यांगों के लिए कोई समर्पित खेल प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। समिति चिंतित है कि ग्वालियर केन्द्र कब कार्य करना आरंभ करेगा क्योंकि उक्त कार्य के जून, 2022 तक पूरा होने की आशा है। इसलिए समिति यह चाहती है कि विभाग निर्माण कार्य पूरा हो जाने के तुरंत बाद ग्वालियर केन्द्र को कार्यशील बनाए और इस संबंध में अभी से आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाए। शिलांग केंद्र के संबंध में समिति यह चाहती है कि विभाग द्वारा कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और शेष केन्द्रों के संबंध में सक्षम प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब जहां इतने सारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने विशेष ओलंपिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं और पदक जीते है, तब इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। समिति शेष प्रस्तावित केन्द्रों के संबंध में कार्य की स्थिति से अवगत होना चाहेगी।"

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"जहां तक ग्वालियर में चल रहे दिव्यांगता खेल केन्द्र कार्य का संबंध है, कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में सीपीडब्ल्यूडी के साथ नियमित समीक्षा/अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, अब तक ग्वालियर में स्थापित

किए जा रहे दिव्यांगता खेल के लिए केवल एक केंद्र अनुमोदित किया गया है। ऐसे अन्य केन्द्रों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही कार्य शुरू किया जाएगा।"

**13. अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश में, समिति ने इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कोई समर्पित खेल प्रशिक्षण सुविधाएं पूरी तरह से नहीं की गई हैं। जबकि समिति यह अनुमान लगा रही थी कि ग्वालियर केंद्र अंततः तैयार होगा, फिर भी की गई कार्रवाई उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना में पुन: देरी हुई है। इसके अलावा, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है, इस समय दिव्यांगजनों के लिए किसी अन्य खेल प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण पर विचार नहीं किया जा रहा है। समिति वर्तमान स्थिति पर खेद प्रकट करती है, विशेषकर जब वित्त मंत्री ने 2014-15 के बजट भाषण में ऐसे 5 केंद्रों की स्थापना की घोषणा की थी। इसलिए, समिति एक बार फिर से विभाग को अपने निगरानी और निष्पादन तंत्र का लाभ उठाने पर बल देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्वालियर केंद्र का कार्य तेजी से पूरा हो सके। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इन सिफारिशों को निष्ठापूर्वक और तात्कालिकता की भावना के साथ आगे बढ़ाया जाए, विशेषकर अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के दिव्यांगजन खिलाड़ियों का प्रदर्शन विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बराबर है और ऐसी सुविधाओं के विकास से ऐसे उभरते खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में काफी मदद मिलेगी।**

## सिफारिश (पैरा सं. 7.18)

14. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति इस बात को नोट कर क्षुब्ध है कि एनएसएपी की इंदिरा गांधी नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में ग्रामीण

विकास मंत्रालय 18-79 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह 300/- रूपए की दिव्यांगता पेंशन और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर एवं अनेक दिव्यांगताओं से ग्रस्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को 500/- रूपए की दिव्यांगता पेंशन प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी केंद्रीय सहायता को बढ़ा रहे हैं परन्तु वे ऐसा अल्प राशि के साथ कर रहे हैं। समिति ने दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता राशि बढ़ाने की पूर्व में सिफारिश की थी। चूंकि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र कल्याण के लिए नोडल विभाग है, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग इस मामले पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ फिर से चर्चा करे और आवधिक संशोधन के प्रावधान के साथ दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता को 300 रूपए से बढ़ाकर उसे तर्कसंगत एवं उचित राशि तक किए जाने के मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाए ताकि गरीब और जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छी राशि पेंशन के रूप में मिल सके।"

15. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्तर पर उनकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत प्रदान की जा रही दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए दिनांक 23.02.2022 के पत्र के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। उनके साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।"

**16. समिति इस बात की सराहना करती है कि विभाग दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता की राशि बढ़ाने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रयास कर रहा है। साथ ही, समिति केवल 300 रुपये की मामूली पेंशन देने की अर्थहीनता की ओर ध्यान दिलाना चाहती है, जो मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हास्यास्पद प्रतीत होती है। इसलिए, समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है और विभाग को ईमानदारी से अपने प्रयासों**

**को नए सिरे से करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि पेंशन राशि को उचित स्तर तक बढ़ाया जा सके और लाभार्थियों के लिए वास्तविक उपयोग हो सके।**

---

## अध्याय- दो

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

## (सिफारिश पैरा सं. 2.9)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पिछले 3 वर्षों की अनुदान मांगो की गहन जांच से, समिति ने पाया कि 2019-20, 2020-21 और

2021-22 के दौरान विभाग के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर हमेशा से ही कम कर दिया गया है और विभाग कम आवंटन का पूर्णतया उपयोग भी नहीं कर सका। समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान संशोधित आवंटन का क्रमशः 92.38% और 95.73% ही खर्च कर सका क्योंकि इन वर्षों के दौरान योजनाओं के तहत समर्थित संगठन/संस्थाओं ने कम निधियों की मांग की थी। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि वर्ष 2021-22 में, विभाग 25.01.2022 तक 1044.31 करोड़ रुपये में से केवल 539.00 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण आवंटित निधियों का कम उपयोग हुआ था, जिसके कारण प्रस्ताव अधूरे दस्तावेजों अथवा निर्धारित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को आश्वासन दिया गया था कि 31.03.2022 तक शेष निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा। समिति विभाग के परंपरागत उत्तर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि 26.01.2022 और 31.03.2022 के बीच 500 करोड़ रूपये से अधिक का उपयोग किया जाना बाकी है। समिति को 2020-2021 हेतु अनुदान की मांगों की जांच के दौरान यह आश्वासन भी दिया गया था कि मार्च 2021 के अंत तक संपूर्ण बजट आवंटन अर्थात 900 करोड़ रूपये का उपयोग कर लिया जाएगा लेकिन विभाग अंततः 2020-21 में 861.63 करोड़ रूपये ही खर्च कर सका। समिति, कुछ हद तक, कोविड-19 महामारी के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति को समझती है, लेकिन दूसरी ओर कोविड-19 के साथ रहना अब एक सामान्य बात है और नए वेरिएंट आते रहेंगे, जैसा कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा भविष्यवाणी की गई है। विभाग से विभिन्न योजनाओं के

प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कार्य करने के लिए नवोन्मेषी तरीकों का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है ताकि आवंटित बजट के एक-एक पैसे का उपयोग किया जा सके। समिति का मानना है कि यदि विभाग ने महामारी के समय के दौरान लाभार्थियों तक पहुंचने और कार्यान्वयन एजेंसियों के क्षमता निर्माण हेतु उचित कदम उठाए होते और तौर-तरीके तैयार किए होते, तो वर्ष 2021-22 में आवंटित निधि का एक बड़ा हिस्सा 25.01.2022 तक उपयोग किया जा सकता था। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग द्वारा स्मार्ट समाधान खोजने और 2021-22 में आवंटित शेष निधियों का उपयोग करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

1044.31 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में, विभाग ने 1008.89 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है, जो विभाग के संशोधित अनुमान आवंटन का 96.61% था। विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) हेतु निधियों के अलावा संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटन का प्रयोग किया है।

विभाग की योजनाओं के तहत स्थिति इस प्रकार है:

1. सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा किया गया था। तदनुसार, 2021-22 हेतु परिव्यय को संशोधित करके 220.00 करोड़ रुपये से 180.00 करोड़ रुपये किया गया था। एडिप योजना के तहत 180.00 करोड़ रुपये के आरई आवंटन की तुलना में, 198.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति के कारण सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण में आने वाली परेशानियों का समाधान करने के लिए, विभाग ने एडिप योजना के तहत मूल्यांकन और वितरण शिविर आयोजित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की। इसके परिणामस्वरूप, योजना के तहत आवंटित बजट के लगभग 110% का उपयोग किया गया था।

2. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा किया गया था। तदनुसार, 2021-22 के लिए परिव्यय को संशोधित करके 125.00 करोड़ रुपये से 110.00 करोड़ रुपये किया गया था। छात्रवृत्ति योजना के तहत 110.00 करोड़ रुपये के आरई आवंटन की तुलना में, 120.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, इस योजना के तहत आवंटित बजट का लगभग 110% (लगभग) उपयोग किया गया था।

3. दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में दी गई विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा) लागू की गई है। हालांकि, कोविड-19 महामारी ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को धीमा कर दिया था, परंतु विभाग ने व्यय वहन किया है जो आरई स्तर का 74% है।

चूंकि सिपडा योजना में विभिन्न उप-योजनाएं शामिल हैं जिनका कार्यान्वयन संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने निस्संदेह रूप से राज्यों के कामकाज़ और विभाग के साथ उनके पत्राचार को प्रभावित किया है। प्रस्ताव अधूरे दस्तावेजों के साथ प्राप्त किए गए थे और विभाग सख्ती से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ फोलो-अप कर रहा है ताकि नोशनल बीई और आरई स्तर में आवंटित राशि को प्राप्त किया जा सके।

डीडीआरएस/डीडीआरसी के तहत 125.00 करोड़ रुपये के कुल आवंटन की तुलना में संशोधित अनुमान 105.00 करोड़ रुपये था। डीडीआरएस के तहत 105.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में कुल 100.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था।

कोविड महामारी के दौरान अल्प कमी का कारण, निश्चित लागत मानदंडों में कमी और डीडीआरएस के तहत परियोजनाओं का बंद होना है। इसके कारण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक परियोजना का न्यूनतम औसत अनुदान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आरई पूर्णरूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, आवेदनों की पहले जिला स्तर पर जांच की जाती है और फिर सिफारिश हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात,

सिफारिश किए गए प्रस्ताव को अनुदान की स्वीकृति हेतु मंत्रालय को भेजा जाता हैं। इस प्रक्रिया में सहायता अनुदान हेतु प्रस्ताव अधिकांशत: वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में प्राप्त किया जाता हैं। प्रस्ताव के प्राप्त होने पर, जीआईए पर विचार करने/उसे जारी करने के लिए मंत्रालय में प्रक्रिया शुरू हो जाती है जैसे प्रस्ताव की जांच करना, गैर-सरकारी संगठनों/राज्य सरकार आदि से अपर्याप्त दस्तावेज मंगाना आदि। प्राप्ति के पश्चात्, प्रस्ताव तैयार किया जाता है और आईएफडी की वित्तीय सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिसके बाद मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन के बाद जीआईए जारी किया जाता है। वर्ष की तीसरी अथवा चौथी तिमाही के दौरान लेखा परीक्षित लेखा भी प्राप्त किए जाते हैं जिनके अभाव में पिछले वर्ष के जीआईए प्रस्ताव पर इस वर्ष के दौरान विचार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटित निधियों का उपयोग करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। तथापि, अनुपालनार्थ और अधिक प्रभावी बजटीय उपयोग के लिए समिति के सुझाव को नोट किया गया है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 2.11)**

समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष 2021-22 के दौरान 08 फरवरी, 2022 तक उनके द्वारा अनुमोदित 702.24 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में से 545.90 करोड़ रुपये जारी करने में सफल रहा है। समिति का मानना है कि विभाग को 1,044.31 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन को खर्च करना अत्यंत कठिन हो सकता है क्योंकि वे केवल 702.24 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदित करने में सक्षम हैं। समिति अनुमोदित किये गए प्रस्तावों हेतु निधियां जारी करने में विलंब के कारणों को समझ नहीं पा रही है। एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र होने के बावजूद आवंटन को खर्च करने में विभाग की विफलता के कारणों को समिति के लिए समझना अत्यंत कठिन है। समिति महसूस करती है कि इस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के मध्य जवाबदेही का अभाव है। इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

जवाबदेही तय की जानी चाहिए ताकि अधिकारी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए । समिति यह भी चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावों की प्राप्ति और निधियों को जारी करने के बीच लगने वाले समय को न्यूनतम किया जाना चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

1044.31 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में, विभाग ने 1008.89 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है, जो विभाग के संशोधित अनुमान आवंटन का 96.61 प्रतिशत था। तथापि, प्रस्तावों की प्राप्ति और निधियों को जारी करने के बीच के समय को कम करने के संबंध में समिति के सुझाव को अनुपालनार्थ नोट किया गया।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 3.19)**

समिति नोट करती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के पश्चात् 2018 में चिन्हित दिव्यांगताओं की कुल संख्या 7 से बढ़कर 21 करने के परिणामस्वरूप, विभाग योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन की प्रक्रिया में है और योजना में सुधार करने और दिव्यांगता की अधिक संख्या में मद्देनजर व्यापक आधार बनाने के लिए पुनर्वास विशेषज्ञों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं। समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक निश्चित समय-सीमा के अभाव में, समिति इस बात से चिंतित है कि केवल दिशानिर्देशों के संशोधन में कितना समय लगेगा क्योंकि 2016 में अधिनियम के लागू होने के बाद से पहले ही काफी समय बीत चुका है और अधिक विलंब से दिव्यांगजनों के कल्याण में बाधा आएगी। इसलिए, समिति चाहगी है कि विभाग दिशा-निर्देशों में संशोधन का कार्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करे और इस संबंध में तैयार की गई अनुसूची से अवगत कराए।

**सरकार का उत्तर**

डीडीआरएस/डीडीआरसी को हाल ही में संशोधित किया गया है जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है। सभी स्टेकहोल्डरों/गैर-सरकारी संगठनों/वीओ तदनुसार सूचित किया गया है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 4.15)**

समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए निर्धारित 20 छात्रवृति योजनाओं में से 2019-20 के लिए केवल सात छात्रों, 2020-21 के लिए छह छात्रों और 2021-22 के लिए पांच छात्रों का ही चयन किया गया था। समिति पाती है कि शोधन क्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र के मानदण्डों में पिछले मूल्य, जो कि सरकार द्वारा किसी छात्र पर व्यय की जाने वाली राशि है, की तुलना में कम कर दी गई है। समिति महसूस करती है कि शोधन क्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्णय लेने में विभाग की ओर से अनुचित विलंब हुआ क्योंकि समिति का मानना है कि विभाग को कारणों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए थे जिसके कारण छात्र छात्रवृत्ति के लिए आगे नहीं आ रहे थे। समिति ने यह भी पाया कि समुद्रपारीय छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है जिससे दिव्यांग छात्रों को इसका लाभ लेने में स्पष्ट रूप से बाधा पहुंच रही है। इस पहलू  की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि विभाग को निर्देश दिया जाए कि वह यह सुनिश्चित करे अब से अपेक्षित संख्या में निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाए और उनकी ओर से कोई ढिलाई न हो।

**सरकार का उत्तर**

20 के स्लॉट की तुलना में, 2019-20 से 2021-22 तक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों  की संख्या और अनुशंसित आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | वर्ष | प्राप्त आवेदनों की संख्या | पात्र छात्रों की संख्या | चयनित आवेदकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 2020-21 | 10 | 6 | 6 |
| 3 | 2021-22 | 19 | 13 | 13 |

पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण, एनओएस(नेशनल ओवरसीज छात्रवृति) दिए जाने के लिए चुने गए छात्रों की संख्या किसी एक वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या की तुलना में कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप पुरस्कार के लिए उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार की जाती है।

लाभार्थियों से अनुरोध प्राप्त होने पर दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जाता है। सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) से संबंधित मामले को उठाया गया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की राशि घटाकर 50,000/- रुपये कर दी गई। इसलिए विभाग की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है। जहाँ तक एनओएस ऑनलाइन कार्यान्वित करने के लिए समिति की टिप्पणी का संबंध है, विभाग ने पहले ही प्रस्ताव शुरू कर दिया है और ऑनलाइन मोड में योजना के कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल के विकास को एनआईसी के साथ उठाया जा रहा है। एनओएस की कवरेज को बढ़ाने के लिए, विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉलेजों/उच्च संस्थानों में संभावित लाभार्थियों के बीच योजनाओं का प्रचार करेगा। विभाग का इरादा एनओएस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करने का है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 6.9)**

समिति यह पाती है कि नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डिवैल्पमेंट कारपोरेशन(एनएचएफडीसी) को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। जिसका उद्देश्य दिव्यांगजन के लाभार्थ स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु सहायता करना था। समिति यह नोट करते हुए आश्चर्यचकित है कि सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से एनएचएफडीसी को

किया जाने वाला बजटीय आवंटन रोक दिया गया है क्योंकि सरकार ने उक्त संगठन की इक्विटी को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। समिति चाहती है कि विभाग इस घटना पर अपने विचार प्रस्तुत करे क्योंकि उनकी राय है कि दिव्यांगजनों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एनएचएफडीसी को धन के आभाव में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समिति महसूस करती है कि विभाग द्वारा एनएचएफडीसी को वार्षिक निधि प्रदान नहीं करने से निगम के उद्देश्य में बाधा आएगी। एनएचएफडीसी के प्रदर्शन के संबंध में, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 113.15 करोड़ रूपये और 133.62 करोड़ रूपये जारी किए जा सके और इन दो वर्षों के दौरान 18170 और 18326 व्यक्ति लाभान्वित हुए। यह और भी निराशाजनक है कि वर्ष 2021-22 में 31 दिसंबर, 2021 तक 73.01 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई, जो काफी कम है और लाभार्थियों की संख्या केवल 10296 है। समिति सरकार के निर्णय से आश्वस्त नहीं है, खासकर परिस्थितियों में जब वे 'आत्मानिर्भर भारत' और 'कौशल भारत मिशन' के तहत उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। समिति इसकी सराहना करेगी यदि मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाए ताकि दिव्यांगजन स्वयं को हतोत्साहित महसूस न करें। समिति लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों के राज्य-वार ब्यौरे से अवगत होना चाहेगी ।

**सरकार का उत्तर**

एनएचएफडीसी को अपनी स्थापना के बाद से आवधिक इक्विटी इनफ्यूजन के रूप में बजटीय आवंटन मिल रहा है, एनएचएफडीसी द्वारा जिसका उपयोग दिव्यांगजनों के लिए रियायती ऋण योजनाओं को चलाने के लिए किया जाएगा। अब तक सरकार ने एनएचएफडीसी में इस तरह के इक्विटी निवेश के माध्यम से 399.99 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस संबंध में बजटीय प्रावधान एनएचएफडीसी द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित हैं। 31.03.2022 को एनएचएफडीसी की कुल संपत्ति 496.21 करोड़ रुपये थी और उस तारीख को उसके पास 103.11 करोड़ रुपये का निवेश योग्य पूल था (ऋण चुकौती आदि के माध्यम से नकद प्राप्तियां)। पिछले दस वर्षों में

एनएचएफडीसी का औसत वार्षिक ऋण प्रदानगी लगभग 100 करोड़ रुपये है, एनएचएफडीसी ने तब तक इक्विटी इन्फ्यूजन से राहत लेने का आह्वान किया, जब तक कि स्टेकहोल्डरों के बीच रियायती ऋण देने के लिए उसके स्वयं की निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रतिबद्ध है और जब भी एनएचएफडीसी द्वारा मांग की जाएगी, वह आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान करेगा। कोविड-2019 के कारण चुनौतीपूर्ण स्थितियों और लगभग पूर्ण लॉक-डाउन के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनएचएफडीसी द्वारा 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण वितरण 112.74 करोड़ रुपये के थे।

2. एनएचएफडीसी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान रियायती ऋण लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

**i)** ऋण नीति और दिशानिर्देशों का सरलीकरण और समेकन

निगम ने उधार देने की प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को सरल बनाया ताकि निगम की विभिन्न योजनाओं को दो मुख्य योजनाओं, अर्थात् दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई) और विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना (वीएमवाई) में अधिक सरल और समेकित किया जा सके।

**ii)** अधिकतम ऋण सीमा को 25.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपये (डीएसवाई के तहत)

निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया ताकि दिव्यांगजनों के लिए अधिक वित्तीय आवश्यकताओं वाले आर्थिक उद्यम शुरू करना सुविधाजनक हो सके।

**iii)** 50.00 लाख रुपये तक के ऋण की मंजूरी के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में प्राधिकार का प्रत्यायोजन (डीएसवाई के तहत)

ऋण देने की प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए, निगम ने कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में प्रति परियोजना रु. 50.00 लाख तक के ऋण की मंजूरी के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन कर दिया।

**iv)** निधियों का नोशनल आवंटन

निगम वित्त वर्ष की शुरुआत में कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में नोशनल रूप से निधियां आवंटित करता है। इस प्रकार आवंटित धन के निधियों को आवंटन की स्वीकृति और अग्रिम निधि जारी करने के अनुरोध पर कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम वित्त पोषण के रूप में जारी किया जाता है। नोशनल आवंटन का शेष भाग इसके लिए अनुरोध प्राप्त होने पर जारी किया जाता है, बशर्ते कि वित्त वर्ष के दौरान पहले से जारी अग्रिम निधि का 80% एजेंसी द्वारा उपयोग किया गया हो। उपरोक्त तंत्र में, कार्यान्वयन एजेंसी के पास पहले से ही निधियां हैं और वह इसे दिव्यांगजन आवेदक को जारी कर सकता है।

**v)** निगम ने ऋण क्षेत्र का विस्तार किया है और दिव्यांगजनों की आय सृजन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

निगम ने दिव्यांगजनों को रियायती ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र/गतिविधियों का विस्तार किया है। इस प्रकार, दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली गतिविधियाँ भी अब एनएचएफडीसी योजना के अंतर्गत आती हैं।

**vi)** दिव्यांगजनों के लाभ के लिए फंड को चैनलाइज़ करने हेतु नई विंडो खोलना

निगम ने लक्ष्य समूह तक पहुंच बढ़ाने के लिए पीएसबी/आरआरबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। निगम ने उक्त उद्देश्य के लिए पहले ही 4 (चार) पीएसबी और 17 आरआरबी के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है।

**vii)** दिव्यांगजनों को हैंड होल्डिंग सहयोग प्रदान करने के लिए सीएससी-एसपीवी लिमिटेड के साथ गठजोड़

एनएचएफडीसी योजना के तहत रियायती ऋण प्राप्त करने में दिव्यांगजनों तक पहुँच का विस्तार करने और सहायता प्रदान करने के लिए; एनएचएफडीसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक विशेष प्रयोजनीय साधन सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज

इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया।

**viii)** प्रत्यक्ष ऋण : प्रायोगिक परियोजनाएं

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए निगम ने प्रायोगिक आधार पर कुछ परियोजनाओं का विस्तार करने की पहल की है। निगम यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित उधारकर्ता को न केवल रियायती ऋण दिया गया है, बल्कि अत्यधिक आवश्यक व्यावसायिक संपर्क भी दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना/पीडब्ल्यूडी के लिए राजस्व सृजन होता है।

**ix)** विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई)

एनएचएफडीसी ने वित्त वर्ष 2019-20 में विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) के नाम से माइक्रो फाइनेंसिंग को पुनर्जीवित किया ताकि दिव्यांगजनों की छोटी वित्तीय जरूरतों को उनके स्थान पर पूरा किया जा सके। अब तक, स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, आंध्र प्रदेश और स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, तेलंगाना वीएमवाई के तहत लक्षित समूह को ऋण सहायता प्रदान करने में एनएचएफडीसी के प्रमुख भागीदार हैं।

एनएचएफडीसी की विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के लाभार्थियों का राज्यवार विवरण:-

| क्र.सं. | राज्य | वित्त वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019-2020 | | 2020-2021 | | 2021-2022 | |
| | | जारी की गई राशि | लाभार्थियों की संख्या | जारी की गई राशि | लाभार्थियों की संख्या | जारी की गई राशि | लाभार्थियों की संख्या |
| | | | | | | | |
| 1 | तमिलनाडु | 2,501.26 | 5,001 | 3,000.00 | 6,000 | 3,000.00 | 6,000 |
| 2 | तेलंगाना | 0.00 | 0 | 1,000.00 | 3,485 | 1,000.00 | 3,485 |
| 3 | केरल | 1,058.00 | 1,055 | 4,504.00 | 4,504 | 2,263.50 | 2,254 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | हरियाणा | 20.17 | 3 | 1,369.17 | 1,316 | 1,311.33 | 1,309 |
| 5 | राजस्थान | 1,025.37 | 1,017 | 619.94 | 601 | 1,224.78 | 1,202 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर | 987.57 | 976 | 153.88 | 144 | 737.50 | 737 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 300.00 | 300 | 400.00 | 400 | 500.00 | 500 |
| 8 | गुजरात | 355.00 | 351 | 55.00 | 51 | 380.41 | 378 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 2,112.14 | 2,075 | 287.28 | 337 | 204.84 | 263 |
| 10 | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 205.00 | 119 |
| 1 1 | पंजाब | 139.00 | 136 | 113.00 | 113 | 94.82 | 107 |
| 12 | झारखंड | 100.00 | 100 | 5.00 | 5 | 100.00 | 100 |
| 13 | दिल्ली | 83.98 | 29 | 19.12 | 2 | 26.89 | 85 |
| 14 | मेघालय | 50.00 | 50 | 20.00 | 20 | 50.00 | 50 |
| 15 | सिक्किम | 0.00 | 0 | 21.00 | 21 | 50.00 | 50 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 20.64 | 3 | 125.63 | 86 | 82.09 | 36 |
| 17 | मिजोरम | 0.00 | 0 | 20.00 | 20 | 21.00 | 21 |
| 18 | चंडीगढ़ | 7.40 | 30 | 1.75 | 7 | 2.25 | 9 |
| 19 | महाराष्ट्र | 12.65 | 3 | 10.53 | 1 | 3.98 | 2 |
| 20 | नागालैंड | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 2 |
| 21 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.20 | 1 |
| 22 | असम | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.25 | 1 |
| 23 | बिहार | 5.22 | 2 | 6.02 | 0 | 6.88 | 1 |
| 24 | उड़ीसा | 0.00 | 0 | 9.22 | 1 | 1.75 | 1 |
| 25 | आंध्र प्रदेश | 2,500.00 | 6,764 | 1,501.72 | 3,718 | 0.00 | 0 |
| 26 | कर्नाटक | 1.12 | 1 | 0.25 | 1 | 0.00 | 0 |
| 27 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0 | 40.00 | 40 | 0.00 | 0 |
| 28 | त्रिपुरा | 0.00 | 0 | 70.25 | 70 | 0.00 | 0 |
| 29 | उत्तराखंड | 37.00 | 37 | 0.50 | 1 | 6.83 | 0 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 5.20 | 2 | 8.55 | 2 | 0.00 | 0 |
| | कुल | 11,321.72 | 17,935 | 13,361.81 | 20,946 | 11,274.70 | 16,713 |

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 7.17)**

समिति नोट करती है कि 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी संशोधित योजना में, सहायता और उपकरणों की अधिकतम लागत 10,000 रूपए से बढ़ाकर 15,000 रूपए कर दी गई है, मोटर युक्त साइकिल के मामले में राजसहायता की राशि 25,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दी गई है और कर्णावर्त तंत्रिका (कॉक्लियर इम्प्लांट) प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार्य अनुदान की राशि 6.00 लाख प्रति यूनिट से बढ़ाकर 7.00 लाख प्रति यूनिट कर दी गई है, लेकिन समिति यह महसूस करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 235 करोड़ का निधि आवंटन अपर्याप्त साबित हो सकता है। समिति का दृढ़ मत है कि योजना के संशोधन के बाद निधि आवंटन को भी बढ़ाया जाना चाहिए था ताकि विभाग को लाभार्थियों की संख्या के संबंध में समझौता न करना पड़े। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि योजना के लिए 2022-23 हेतु निधि आवंटन को संशोधित किया जाये ताकि 2022-23 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों की उपकरण/सहायक यंत्रों की खरीद/फिटिंग संबंधी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

**सरकार का उत्तर**

जैसा कि उपरोक्त पैरा-7.16 के उत्तर में बताया गया है, एडिप योजना का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा किया गया था और देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, ईएफसी ने एडिप योजना के तहत कुल परिव्यय को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिए 1176.00 करोड़ रूपये तक सीमित कर दिया है। कुल परिव्यय को ध्यान में रखते हुए 2021-22 के लिए 180.00 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया था। हालांकि, सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की लागत-सीमा में संशोधन के कारण 2022-23 के लिए 235.00 करोड़ रूपये का बढ़ा हुआ बजट आवंटन किया गया है, फलस्वरूप बजट आवंटन में वृद्धि हुई। इसके अलावा, समिति की

टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और यदि व्यवहार्य हो तो आरई चरण में योजना के तहत और अधिक बजट मांगा जाएगा।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

## अध्याय- तीन

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

### (सिफारिश पैरा सं. 2.10)

समिति पाती है कि राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना एक बार-बार की समस्या बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा राज्य सरकारों को निधियां जारी नहीं की गई हैं। इसे विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने का मुख्य कारण बताया गया है। यद्यपि, समिति इस मुद्दे पर लगातार सिफारिश करती रही है, विभाग काफी समय से इस मुद्दे का समाधान करने में अक्षम रहा है और परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को उनकी बिना किसी गलती के योजनाओं से वंचित हो रहे हैं । तथापि, इस समस्या के समाधान हेतु सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने के लिए आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुन: 2020-21 में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने को विभाग को प्रदत निधियों का उपयोग ना किए जाने के लिए जिम्मेदार होने के रूप में उद्धृत किया गया है। समिति की पुरजोर इच्छा है कि विभाग राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के मुद्दे के समाधान के लिए एक प्रणाली विकसित करे। समिति का मानना है कि विभाग को यह समझना चाहिए कि राज्य सरकारों को निधियां जारी न किए जाने का अर्थ है दिव्यांगजन का सशक्तिकरण और पुनर्वास बुरी तरह से प्रभावित होगा और इसे बिना सहजता से नहीं लिया जा सकता है। समिति यह स्वीकार करती है कि विभाग ने औचक निरीक्षण, निधि प्रवाह तंत्र में परिवर्तन, प्रक्रियाओं के सरलीकरण आदि के माध्यम से एडिप (एडीआईपी), सिपडा, एनएचएफडीसी आदि जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए प्रगति की है, फिर भी राज्य सरकारों से विलंबित/दोषपूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र की समस्या बनी हुई है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण बजटीय आवंटन खर्च करने में कमी को गंभीरता से दूर करना चाहिए और दिव्यांगजनों हेतु कल्याणकारी क्रियाकलापों में बाधा डाले बिना इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

1. विभाग की सभी योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं हैं जहां कार्यान्वयन एजेंसियां प्रत्यक्ष रूप से विभाग द्वारा वित्त पोषित है। हालांकि, कुछ योजनाओं के घटकों में राज्य सरकारों को निधियां वितरित की जाती हैं। इस दिशा में किए गए प्रयासों को नीचे दर्शाया गया है:

जहां तक सिपडा योजना के बाधामुक्त वातावरण का सृजन और सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) का संबंध है, उप-योजनाओं में पात्रता मानदंडों और दिशानिर्देशों का एक सेट है और तदनुसार प्रस्तावों को अनुदान पर कार्रवाई हेतु भेजना आवश्यक है। इन्हें उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया जाता है जिन्हें प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय प्रक्रिया-विधियों का अनुपालन करना अपेक्षित है। यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार सही प्रारूप में प्रस्ताव भेजता है, तो उस पर शीघ्र कार्य करने में मदद मिलती है। विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से पत्र लिखता है और माननीय मंत्री, माननीय राज्य मंत्रीगण, सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों के स्तर पर दौरों के दौरान सहित प्रत्येक स्तर पर मुद्दे को उठाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों में उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के उनके लंबित मामले के निपटान से संबंधित मुद्दे को हमेशा रखा जाता है ताकि किसी भी नए प्रस्ताव को उपयोग प्रमाणपत्र की कमी के कारण रोका न जाए। लंबित यूसी के निपटान हेतु 12.07.2022, 24.02.2022, 29.10.2021, 05.08.2021 और 30.06.2021 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से अर्ध-शासकीय पत्र लिखे गए। इन प्रयासों ने मार्च, 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के यूसी के लंबित मामलों को 305.78 करोड़ रुपये से कम करके 258.52 करोड़ रुपये करने में मदद की है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 3.17)**

डीडीआरएस योजना के तहत, समिति यह नोट करने क्षुब्ध है कि विभाग संशोधित अनुमान चरण में 2019-20 के लिए प्रदान किए गए 105.00 करोड़ रुपये में से 101.66 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान चरण 2020-21 के लिए प्रदान किए गए 85 करोड़ रुपये में से 83.18 करोड़ रुपये खर्च कर सका है। इसके अलावा, विभाग 2020-21 में संशोधित अनुमान चरण में प्रदान किए गए 105.00 करोड़ रुपये में से केवल 47.00 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान जारी कर पाया और कहा गया कि 23.00 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जारी करने की प्रक्रिया में हैं। समिति को यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक कुछ प्रस्तावों हेतु 35 करोड़ रुपये जारी किए जाने की संभावना है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि 2019-20 और 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया है और 2021-22 के लिए भी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है क्योंकि विभाग ने 2021-22 के लिए निर्धारित 40000 लाभार्थियों के लक्ष्य में से केवल 16668 लाभार्थियों की सूचना दी है। संभवत: विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह न तो 2019-20, 2020-21 के लिए पूर्ण बजटीय आवंटन खर्च करने में सफल रहा है और न ही 2021-22 के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। समिति को यह जानकर दुख है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों के बावजूद, प्रस्तावों की स्वीकृति में काफी समय लगता है, जबकि प्रस्तावों को तीव्रता से अनुमोदित करने और सहायता अनुदान को शीघ्र जारी करने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि विभाग 2021-22 हेतु प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति दे और सहायता अनुदान जारी करे। विभाग को प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए एक प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए ताकि गैर-सरकारी संगठनों के कार्य प्रभावित न हों और लाभार्थियों को परेशानी न हो। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग 2022-23 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे और बजटीय आवंटन को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करे और यह भी सुनिश्चित करे कि प्रस्तावों की कमी के कारण संशोधित अनुमानों को संशोधित स्तर पर कम न किया जाए।

**सरकार का उत्तर**

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान डीडीआरएस के तहत संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) इस प्रकार है:-

(करोड़ रू. में)

| वित्त वर्ष | आरई | एई |
|---|---|---|
| 2019-20 | 105.00 | 101.66 |
| 2020-21 | 85.00 | 83.18 |
| 2021-22 | 105.00 | 100.89 |

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि इस प्रकार है:-

| वित्त वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 2019-20 | 45000 | 38004 |
| 2020-21 | 42370 | 31542 |
| 2021-22 | 40000 | 30173 |

कमी के कारण - एनई घटक में कम व्यय और कोविड महामारी में परियोजनाओं के बंद होने से निश्चित लागत मानदंडों में कमी से अल्प कमी हुई जिसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु कम औसत अनुदान हुआ।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 हेतु प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:-

| वित्त वर्ष | प्राप्त | स्वीकृत | शेष |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 459 | 240 | 219 |
| 2021-22 | 384 | 57 | 327 |
| कुल | 843 | 297 | 546 |

विभाग एक समर्पित पोर्टल, ई-अनुदान, के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करता है, जांच करता है और स्वीकृति आदेश जारी करता है। इसमें जीआईए के प्रस्ताव के

अनुमोदन में कोई प्रक्रियात्मक विलंब नहीं होता है। तथापि, दस्तावेजों आदि में कमी के मामले में, प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाती है और केवल कमी के सुधार के बाद ही अनुदान जारी किया जाता है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 3.20)**

समिति पाती है कि दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा किया जा रहा है, जिसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान मिलता है। गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा की जाती है। विशेष स्कूलों के संचालन, स्कूल-पूर्व प्रारंभिक कार्यकलापों, कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्तियों और सेरेब्रल पालसी से पीड़ित बच्चों आदि हेतु परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा, संबंधित राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थान निरीक्षकों के माध्यम से और विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर, की जाती है। समिति यह भी पाती है कि विभाग समय-समय पर यह जांच करने के लिए कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं, स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन करता है। समिति इस तथ्य पर निराशा व्यक्त करती है कि विभाग के पास उपलब्ध सभी प्रणालियों के बावजूद, सहायता अनुदान की स्वीकृति से लेकर गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा तक, 2019-20 और 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। समिति को 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में भी अत्यधिक संदेह है, विशेषकर जब लाभार्थियों और कर्मचारियों का निरीक्षण कोविड महामारी के कारण रुका हुआ था। समिति नोट करती है कि अप्रैल, 2018 में डीडीआरएस को संशोधित किए जाने के पश्चात लागत मानदंडों को भी 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, जो मौजूदा स्थिति के अनुसार ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में बेहतर निगरानी तंत्र, निरीक्षण एजेंसियों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के साथ-साथ लाभार्थियों के

साथ सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान प्रदान करने की मांग करता है।

**सरकार का उत्तर**

योजना के निष्पादन पर मॉनिटरिंग और नियंत्रण की प्रणाली निम्नानुसार है:-

(i) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। डीडीआरएस के तहत जीआईए, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पूरी की गई निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) के साथ संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर जारी किया जाता है।

(ii) किसी एक वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान की नई/बाद की रिलीज केवल पिछले वर्ष के अनुदानों के संबंध में देय उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर की जाती है।

(iii) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों के उनके दौरों के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा।

(iv) मंत्रालय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उन निधियों के समुचित उपयोग की जांच करना शामिल है जिनके लिए इसे डीडीआरएस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किया गया है। पिछला मूल्यांकन 2021-22 में किया गया था।

(v) किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा निधियों के प्रमाणित दुरूपयोग की स्थिति में विभाग संबंधित गैर-सरकारी संगठनों को ब्लैकलिस्ट में डालने की कार्रवाई शुरू करता है। संबंधित राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों के माध्यम से समय-समय पर गैर-सरकारी संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है।

(vi) इस विभाग ने प्रस्तावों की केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए एक ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) विकसित किया है। इस उद्देश्य के लिए, पीआईए

को एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और जीआईए रिलीज़ के लिए ई-अनुदान पर आवेदन करना होगा। कार्यान्वयन एजेंसियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सभी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कार्यान्वयन एजेंसियों को व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के माध्यम से अपना व्यय दिखाना होता है।

(vii) सहायता अनुदान जारी करने के मामलों की प्रोसेसिंग के लिए एक व्यापक चेकलिस्ट विकसित की गई है।

(viii) कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी लाभार्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करने होते हैं।

(ix) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञानं केंद्र (एनआईसी) से इस योजना की समुचित मॉनिटरिंग करने के लिए बेहतर एमआईएस विकसित करने का अनुरोध किया गया है।

(x) ई-अनुदान पोर्टल एंड टू एंड ऑनलाइन है और नीति आयोग के दर्पण पोर्टल से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग एक पोर्टल विकसित कर रहा  है, जिसमें सभी गैर-सरकारी संगठन उस सिंगल पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे , जिसे गैर-सरकारी संगठनों के सभी डेटा के निर्बाध हस्तांतरण (ट्रांसमिशन) और वन सोर्स पर कैप्चर करने के लिए विभाग के पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

(xi) योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण और गहन मॉनिटरिंग के लिए एक केन्द्रीय कार्यक्रम मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) की एक टीम बनाई गई है। पीएमयू टीम/सदस्य पीआईए का औचक निरीक्षण करेंगे और पीआईए द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता की निगरानी करेंगे। वे पीआईए के समग्र प्रदर्शन को दर्शाने में कार्यक्रम प्रभाग की सहायता करेंगे।

(xii) डीडीआरएस के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक पीआईए को प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सीपीएमयू या विभाग द्वारा पूछे जाने पर स्टाफ की बायोमैट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 4.14)**

समिति आगे यह नोट कर आश्चर्यचकित है दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया क्योंकि कथित तौर पर कि दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के संबंध में कोचिंग संस्थानों हेतु दिशा-निर्देशों के मद्देनजर कोचिंग संस्थानों को पैनलबद्ध नहीं किया जा सका। समिति यह जानकार क्षुब्ध है कि योजना के तहत 2019 से 2022 तक लाभार्थियों की संख्या शून्य है और विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से छात्रों को किसी ऐसे संस्थान जो अखिल भारत में कोचिंग देने में प्रतिष्ठित है और जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, से नि:शुल्क कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता लेने के लिए सीधे विभाग में आवेदन करने की अनुमति देने के लिए तीन साल से अधिक का समय लग गया। समिति अत्यधिक विलंब के लिए निर्धारित की गई जिम्मेदारी तथा उन कारणों से अवगत होना चाहती है जिनके कारण स्थिति का आकलन समय पर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप पात्र दिव्यांगजनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समिति का मानना है कि पूरे भारत में कोचिंग प्रदान करने में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान, जो अच्छी सुविधा से परिपूर्ण हो, को ढूंढना,हालाँकि अच्छी भावना है परन्तु यह दिव्यांग छात्रों के लिए एक बाधा हो सकती है क्योंकि ऐसे संस्थान पूरे देश में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और छात्रों को भी ऐसे संस्थान महंगे और पहुंच से बाहर लग सकते हैं। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग इस आलोक में भी मामले की जांच करे।

**सरकार का उत्तर**

कोचिंग संस्थानों के पैनलबद्धता दिशा-निर्देश दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं जैसे अवसंरचना, पाठ्यक्रम सामग्री आदि में सुगम्यता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। योजना के प्रारंभ से गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों/अन्य से पैनलबद्धता के लिए

प्राप्त प्रस्ताव या तो योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे या निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में, यह देखा गया कि निजी कोचिंग संस्थान जो सामान्य उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान कर रहे हैं, वे दिव्यांगजनों के लिए अवसंरचना को सुगम्य बनाने में निवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं। इसलिए, विभाग ने मोड-II का प्रस्ताव किया, जिसमें छात्रों को अपनी पसंद के संस्थान से कोचिंग लेने की स्वतंत्रता होगी, जिसे माननीय मंत्री, एसजेई द्वारा अनुमोदित किया गया है। माननीय मंत्री, एसजेई के अनुमोदन से निशुल्क कोचिंग योजना के मोड-I को बंद कर दिया गया है। समिति की इस टिप्पणी के संबंध में कि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान देश भर में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, यह बताया गया है कि यह मोड-II में फर्जी संस्थानों से बचने के उद्देश्य से शामिल योजना दिशानिर्देशों में निहित एकमात्र और न्यूनतम मानदंड है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 7.16)**

समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि उनकी इच्छा के अनुसार एडिप योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2022 से आय सीमा, लागत सीमा, मोटर चालित तिपहिया के लिए राजसहायता और अन्य लागत पहलुओं में वृद्धि की गई है, लेकिन विभाग वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित आवंटन को पूरी तरह से खर्च करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि विभाग टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक साधनों और उपकरणों की खरीद में दिव्यांगजन व्यक्तियों को सहायता के लिए 180.00 करोड़ के संशोधित आवंटन में से 147.30 करोड़ खर्च कर पाया है, जिसके लिए कोविड 19 महामारी और आम चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया गया था। इसके अलावा, समिति ने पाया कि विभाग 2020-21 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हो सका था क्योंकि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 3.00 लाख के लक्ष्य में से केवल 2.58 लाख व्यक्ति ही लाभान्वित हो सके। वर्ष 2019-20 की तुलना में, जबकि 3.00 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 3.51 लाभार्थी का लक्ष्य

प्राप्त किया गया था, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य 2.00 लाख और 2.05 लाख लाभार्थी हैं। समिति 2021-22 और 2022-23 के लिए लक्ष्य को कम करने के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है, खासकर जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के साथ नि:शक्ताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई है और इसलिए यह निश्चित है कि उपकरणों और सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी। अतः उनका मानना है कि विभाग को उच्च लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए ताकि बड़ी संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्राप्त हो सकें।

**सरकार का उत्तर**

2020-21 के दौरान, यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि पूरे देश में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, शिविरों को 13.03.2020 से स्थगित कर दिया गया था। सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का वितरण जारी रखने के लिए, विभाग ने एडिप योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय जैसे तापमान जांच, सामाजिक दूरी, स्वच्छता आदि को नए एसओपी का हिस्सा बनाया गया था। उक्त एसओपी जारी होने के बाद पहला वितरण शिविर 15.06.2020 को फिरोजपुर (पंजाब) में आयोजित किया गया था। इसलिए, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, जिसने जिलों में बड़े शिविरों के आयोजन को सीधे तौर पर प्रभावित और निषिद्ध किया जिस कारण लाभार्थियों की कम संख्या को कवर किया गया।

2021-22 के लिए लक्ष्य में कमी के संबंध में यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, जिसने जिलों में बड़े शिविरों को सीधे प्रभावित और निषिद्ध किया, वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को कम कर दिया गया। हालांकि, योजना के तहत 2.00 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 2.43 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

जहां तक 2022-23 का संबंध है, यह कहा गया है कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के मूल्यांकन के आधार पर, योजना को संशोधित किया गया है जिसे 01.04.2022 से लागू किया जाएगा। संशोधित योजना में, सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की लागत सीमा को 10,000 रूपये से बढ़ाकर 15,000 रूपये कर दिया गया है। मोटर चालित ट्राइसाइकिल के मामले में, सब्सिडी को 25,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दिया गया है और कॉक्लियर इंप्लांट कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य अनुदान की राशि को भी 6.00 लाख रूपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 7.00 लाख रूपये प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ईएफसी द्वारा आवंटित निधि में से लाभार्थियों की कम संख्या का कवरेज हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा योजना का मूल्यांकन करते समय, ईएफसी ने एडिप योजना के तहत समग्र परिव्यय को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 1176.00 करोड़ रूपये तक सीमित कर दिया। तद्नुसार, 2021-22 के परिव्यय को संशोधित कर 220.00 करोड़ रूपये से 180.00 करोड़ रूपये कर दिया गया। इसी तरह, 2022-23 के लिए 235.00 करोड़ रूपये का बजट आवंटन आवंटित किया गया है। इसलिए, 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए ईएफसी द्वारा आवंटित परिव्यय के अनुसार और योजना के तहत सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की संशोधित लागत सीमा को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा उच्च लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं होगा। तथापि, समिति की टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और योजना के तहत और विभाग को आवंटित बजट में से अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के प्रयास किए जाएगें।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

## अध्याय- चार

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

### सिफारिश (पैरा सं. 3.18)

समिति पाती है कि जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) योजना 1999-2000 में अस्तित्व में आई थी और 2020-21 से दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत वित्त पोषित की जा रही है, यह अभी भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि 269 जिलों में स्थापित डीडीआरसी में से केवल 55-60 डीडीआरसी को ही कार्यात्मक बनाया गया है। समिति यह समझती है कि इस मामले पर दिव्यांगता संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की उपस्थिति में भी चर्चा की जाती है, फिर भी कार्य के आगे बढ़ने की गति हतोत्साहित करने वाली है। स्पष्ट रूप से, वर्तमान लागत मानदंड योग्य पुनर्वास पेशेवरों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में पेशेवरों की विशेष कमी है। समिति का मानना है कि विभाग ने इस मुद्दे के समाधान हेतु ठोस कार्रवाई करने में देरी की है, हालांकि अब दिशा-निर्देशों में संशोधन करके और मॉडल डीडीआरसी तैयार करके विभाग द्वारा की गई पहलों से उम्मीद है कि डीडीआरसी की स्थापना में अनुभव की गई कमियों को दूर किया जा सकेगा। समिति को आशा है कि डीडीआरसी को सभी 269 जिलों में कार्यात्मक बनाया जाएगा। समिति वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों से अवगत होना चाहेगी।

### सरकार का उत्तर

डीडीआरसी के तहत वर्तमान स्थिति और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:-

- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद 2018 में दिव्यांगताओं की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।

- ❖ 2022-23 से लागू किए जाने वाले संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीडीआरसी को अधिमानतः जिला अस्पताल/जिला प्रारंभिक उपचार केंद्रों को निकटतम स्थान पर स्थित होना चाहिए।
- ❖ गुणवत्ता पेशेवरों को अब परामर्श के आधार पर (अंशकालिक) अथवा पूर्णकालिक नियुक्त किया जा सकता है। इससे अनुदान की सीमाओं के तहत आवश्यकतानुसार पेशेवरों की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय प्रभावी रूप से डीडीआरसी को स्थापित करने और उसके संचालन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने के लिए मॉडल डीडीआरसी विशेषताओं को तैयार करने की प्रक्रिया में है।
- ❖ माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्यों के जिलों में डीडीआरसी की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

## सिफारिश (पैरा सं. 5.8)

समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 2014-15 की बजट घोषणा के परिणामस्वरूप देश के पांच जोनों में दिव्यांगों संबंधी खेल के लिए खोले जाने वाले पांच केंद्रों में से केवल दो केन्द्र अर्थात ग्वालियर और शिलांग को अंतत: स्थापित किया जा सकेगा क्योंकि दिव्यांगों संबंधी खेल के लिए ग्वालियर स्थित खेल केंद्र 2 जून, 2022 तक पूरा हो जाएगा, और शिलांग स्थित केंद्र के लिए वित्तीय आवंटन किया जा चुका है। समिति बजट भाषण 2014-15 में घोषित विजन को सफल बनाने में विभाग की असफलता के कारणों को नहीं समझ पाई है क्योंकि छह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जहां दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दिव्यांगों के लिए कोई समर्पित खेल प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। समिति चिंतित

है कि ग्वालियर केन्द्र कब कार्य करना आरंभ करेगा क्योंकि उक्त कार्य के जून, 2022 तक पूरा होने की आशा है। इसलिए समिति यह चाहती है कि विभाग निर्माण कार्य पूरा हो जाने के तुरंत बाद ग्वालियर केन्द्र को कार्यशील बनाए और इस संबंध में अभी से आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाए। शिलांग केंद्र के संबंध में समिति यह चाहती है कि विभाग द्वारा कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और शेष केन्द्रों के संबंध में सक्षम प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब जहां इतने सारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने विशेष ओलंपिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं और पदक जीते है, तब इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। समिति शेष प्रस्तावित केन्द्रों के संबंध में कार्य की स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

**सरकार का उत्तर**

जहां तक ग्वालियर में चल रहे दिव्यांगता खेल केन्द्र कार्य का संबंध है, कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में सीपीडब्ल्यूडी के साथ नियमित समीक्षा/अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। 2. इसके अलावा, अब तक ग्वालियर में स्थापित

किए जा रहे दिव्यांगता खेलों के लिए केवल एक केंद्र अनुमोदित किया गया है। ऐसे अन्य केन्द्रों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही कार्य शुरू किया जाएगा।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

## अध्याय- पांच

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं

## (सिफारिश पैरा सं. 4.13)

जहां तक दिव्यांगजनों के शैक्षिक सशक्तिकरण की योजनाओं का संबंध है, समिति यह बात नोट कर क्षुब्ध है कि दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की छह योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आवंटन न केवल स्थिर रहा है बल्कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अपर्याप्त आवेदनों के कारण इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया गया है। जैसा कि मंत्रालय ने बताया था, उनके द्वारा निधियां जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि सत्यापित आवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में/अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्राप्त हुए थे। चूंकि आवेदनों की देर से प्राप्ति के कारण पिछले वर्ष में धन जारी नहीं किया जा सका था, इसलिए सुविधाजनक रूप से यह माना गया कि अगले वर्ष भी यही परिदृश्य जारी रहेगा और इसी तरह के बजटीय आवंटन के साथ-साथ लक्ष्यों को आगामी वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2019-20 से आज तक, 200 राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, 1700 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, 300 शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, 2000 नि:शुल्क कोचिंग, 20 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां और 25000 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां प्रत्येक वर्ष बिना किसी परिवर्तन के निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं। यह अन्य बात है कि राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को छोड़कर कोई अन्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। समिति का मानना है कि विभाग को ईमानदारी से काम करने और इस तरह की स्थितियों को दूर करने के लिए साधनों का पता लगाने की आवश्यकता है। समिति यह भी महसूस करती है कि विभाग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच समन्वय की कमी है जिसके परिणामस्वरूप समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। समिति चाहती है कि विभाग उचित उपाय करे ताकि दिव्यांग छात्र विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित न रहें। जैसा कि समिति को बताया गया था कि

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए विभाग को इन श्रेणियों और उत्तर पूर्व राज्यों से संबंधित दिव्यांग छात्रों के बीच इन छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

**सरकार का उत्तर**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित वीडियो कांफ्रेंसिंग सहित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स/सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा किये गए अनवरत प्रयासों के कारण निशुल्क कोचिंग को छोड़कर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को 2021-22 में बड़े पैमाने पर हासिल किया गया है। 2021-22 में एनएसपी पर शामिल योजनाओं के तहत अंतिम रूप से सत्यापित आवेदनों और जारी छात्रवृत्ति का विवरण नीचे तालिका-I में दिया गया है:

तालिका-I

| क्र.सं. | योजना का नाम | स्लॉट | आवेदन अंतिम रूप से सत्यापित | एनएसपी द्वारा भुगतान के लिए सत्यापित आवेदन | दिनांक की स्थिति के अनुसार अंतिम रूप से प्रदत्त आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्री-मैट्रिक | 25000 | 21052 | 19327 | 16000 |
| 2 | पोस्ट- मैट्रिक | 17000 | 25305 | 16658 | 16493 |
| 3 | टॉप क्लास | 300 | 435 | 294 | 292 |

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने योजना का मूल्यांकन करते हुए, छात्रवृत्ति योजना के तहत समग्र परिव्यय को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 560.00 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया। तद्नुसार, 2021-22 के लिए परिव्यय को 125.00

करोड़ रुपये से संशोधित कर 110.00 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह, 2022-23 के लिए बजट आवंटन 105.00 करोड़ रुपये के लिए आवंटित किया गया है।

विभाग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-II से स्पष्ट है कि इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत निधियों का पूर्ण उपयोग/ लाभार्थियों को जारी किया गया था। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, विभाग जागरूकता उपायों में वृद्धि करेगा और विज्ञापन के सभी संभावित माध्यमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनाओं का अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगा:-

**<u>तालिका-II</u>**

**(करोड़ रुपये में)**

| क्र.सं. | शीर्ष | आवंटित निधियां | | जारी निधियां |
|---|---|---|---|---|
| | | बीई | आरई | |
| 1 | अनुसूचित जाति | 10.87 | 14.75 | 14.87 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 3.27 | 3.27 | 3.27 |

चूंकि, ईएफसी ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए परिव्यय सीमा निर्धारित की है, इसलिए विभाग के लिए आवंटन की तुलना में लक्ष्यों को बढ़ाना संभव नहीं होगा। तथापि, समिति की टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और विभाग को योजना के अंतर्गत आवंटित बजट में से स्लॉट का पूर्ण उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे।

जहां तक समन्वय का संबंध है, विभाग के अधिकारी टेलीफोन, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के नियमित संपर्क में रहते हैं और कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दों को शीघ्र निवारण के लिए इन मंचों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के संज्ञान में तुरंत लाया जाता है।"

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**(सिफारिश पैरा सं. 7.18)**

समिति इस बात को नोट कर क्षुब्ध है एनएसएपी की इंदिरा गांधी नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय 18-79 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह 300/- रूपए की दिव्यांगता पेंशन और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर एवं अनेक दिव्यांगताओं से ग्रस्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को 500/- रूपए की दिव्यांगता पेंशन प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी केंद्रीय सहायता को बढ़ा रहे हैं परन्तु वे ऐसा अल्प राशि के साथ कर रहे हैं। समिति ने दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता राशि बढ़ाने की पूर्व में सिफारिश की थी। चूंकि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र कल्याण के लिए नोडल विभाग है, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग इस मामले पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ फिर से चर्चा करे और आवधिक संशोधन के प्रावधान के साथ दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता को 300 रूपए से बढ़ाकर उसे तर्कसंगत एवं उचित राशि तक किए जाने के मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाए ताकि गरीब और जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छी राशि पेंशन के रूप में मिल सके।

**सरकार का उत्तर**

सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्तर पर उनकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत प्रदान की जा रही दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए दिनांक 23.02.2022 के पत्र के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। उनके साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

**(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2022-23/बजट/डीईपीडब्ल्यूडी दिनांक 22 अगस्त, 2022)**

**नई दिल्ली;**
**09 दिसंबर , 2022**
**18 अग्रहायण , 1944 (शक)**

**रमा देवी,**
**सभापति,**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति।**

## परिशिष्ट

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अनूदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण**

| | | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | सिफारिशों की कुल संख्या | 15 | |
| 2. | टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है<br>सि. पैरा सं. 2.9, 2.11, 3.19, 4.15, 6.9 और 7.17 | 06 | 40% |
| 3. | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती<br>सि. पैरा सं. 2.10, 3.17, 3.20, 4.14 और 7.16 | 05 | 33.34% |
| 4. | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है<br>सि. पैरा सं. 3.18 और 5.8 | 02 | 13.33% |
| 5. | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं<br>सि. पैरा सं. 4.13 और 7.18 | 02 | 13.33% |
| | | | 100% |